संख्या–1प्रा0आ0–14/2015......1604...../आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 2/5/15

विषयः– **जिलों के अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन एवं वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन के प्रभारी को मोबाईल रिचार्ज कराने हेतु राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि राज्य में वर्त्तमान में आये चक्रवाती तूफान एवं भूकम्प के कारण उत्पन्न स्थिति में मुख्यालय एवं जिलों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संचार माध्यम से लगातार सम्पर्क किया जाता रहा है। जिसमें मोबाईल के द्वारा जिला में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन एवं वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन के द्वारा अपने निजी मोबाईल का उपयोग किया जाता रहा है एवं इसमें होने वाले व्यय का वहन वे स्वंय करते है।

2. अतएव, निर्णय लिया गया है कि जिले के जिन आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्त्ता एवं वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन के पास सरकार के किसी विभाग/संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया CUG मोबाईल उपलब्ध नहीं है, उन पदाधिकारियों को अपने निजी मोबाईल को रिचार्ज कराने हेतु प्रति माह 500 रू0 की दर से राशि का भुगतान आबादी निष्क्रमय मद से देय होगा।

3. यह निर्णय अगले आदेश तक लागू माना जाएगा एवं तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–......1604....../आ0प्र0, पटना–15 दि0– 2/5/15

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार /प्रधान सचिव, वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–......1604....../आ0प्र0, पटना–15 दि0– 2/5/15

प्रतिलिपि–विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

\\Pc22-pc\d\2015\Yojna 2015\letter 02-5-15 spe. sec. sir.docx